संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एसआईसी/01/01/2022 दिनांकः 03-01-2022

प्रति,
साधारण बीमा कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ईसीजीसी लि. और एआईसी लि. को छोड़कर)

महोदया/ महोदय,

आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022

प्राधिकरण, उत्पादों के विलक्षण जोखिम और विशेषताओं के कारण प्रतिभू बीमा के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा प्रतिभू बीमा व्यवसाय को विनियमित और विकसित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होंगे। उक्त दिशानिर्देश आईआरडीएआई वेबसाइट (https://www.irdai.gov.in) पर रखे गये हैं।

भवदीया,

(यज्ञप्रिया भरत)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)

आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022

1. प्रस्तावना

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") इस बात पर विचार करने के बाद कि प्रतिभू बीमा व्यवसाय के धारणीय और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए यह आवश्यक है, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

2. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ

2.1 ये दिशानिर्देश "आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा संविदाएँ) दिशानिर्देश, 2022" कहलाएँगे।

2.2 ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होंगे।

3. प्रयोज्यता

3.1 साधारण बीमा का व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन पंजीकृत सभी बीमाकर्ता इन दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पात्रता मानदंडों का अनुपालन करने के अधीन प्रतिभू बीमा का व्यवसाय कर सकते हैं।

3.2 इन दिशानिर्देशों के प्रारंभ होने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत में प्रतिभू बीमा का व्यवसाय तब तक नहीं करेगा, जब तक उक्त व्यक्ति बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(7ए) में यथापरिभाषित भारतीय बीमा कंपनी न हो।

4. प्रतिभू बीमा संविदा की सारभूत विशेषताएँ

प्रतिभू बीमा संविदा की सारभूत विशेषताएँ निम्नानुसार होंगी।

4.1 यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अंतर्गत गारंटी की संविदा होगी। यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चूक होने की स्थिति में उस अन्य व्यक्ति के वचन को निभाने अथवा दायित्व को निष्पादित करने के लिए संविदा है। वह व्यक्ति जो गारंटी देता है, "प्रतिभू" कहलाता है, वह व्यक्ति जिसकी चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है वह "प्रधान देनदार" कहलाता है तथा वह व्यक्ति जिसको उक्त गारंटी दी जाती है वह "लेनदार" कहलाता है।

4.2 प्रतिभू की संविदा एक बीमा संविदा के रूप में केवल तभी मानी जाएगी जब वह एक प्रतिभू (जामिन) के द्वारा की जाती है जो साधारण बीमा व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन पंजीकृत बीमाकर्ता है।

5. प्रतिभू संविदाओं के प्रकार और परिभाषाएँ

(क) इन दिशानिर्देशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इनमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए नीचे दिये गये हैं।

(i) **अग्रिम भुगतान बांडः** यह संविदाकार द्वारा विनिर्देशों के अनुसार संविदा को पूरा न करने अथवा संविदा के विस्तार का पालन न करने की स्थिति में अग्रिम भुगतान की बकाया शेष राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिभू प्रदाता के द्वारा दिया गया वचन है।

(ii) **बोली बांडः** यह बोलीकर्ता के द्वारा यह वचन देते हुए लिया गया दायित्व है कि यदि बोलीकर्ता को संविदा प्रदान की जाती है तो वह निर्धारित कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा तथा एक निर्धारित समयावधि के अंदर संविदा करार करेगा। यह बाध्यताकारी (आब्लिजी) को वित्तीय संरक्षण उपलब्ध कराता है यदि बोलीकर्ता को बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसरण में संविदा

प्रदान की जाती है, परंतु वह संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता और कोई भी अपेक्षित कार्यनिष्पादन और भुगतान बांड प्रस्तुत नहीं करता।

(iii) **संविदा बांडः** यह सरकारी संस्था, विकासकर्ताओं, उप-संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन देता है कि संविदाकार परियोजना का उत्तरदायित्व लेते समय अपने संविदागत दायित्व को पूरा करेगा। संविदा बांडों में शामिल हो सकते हैं: बोली बांड, कार्यनिष्पादन बांड, अग्रिम भुगतान बांड और प्रतिधारण धन।

(iv) **सीमाशुल्क और न्यायालय बांडः** यह एक ऐसे प्रकार की गारंटी है जहाँ बाध्यताकारी (आब्लिजी) एक सरकारी कार्यालय है जैसे कर कार्यालय, सीमाशुल्क प्रशासन अथवा न्यायालय, तथा न्यायालयीन मामला खोलने, सीमाशुल्क से माल की निकासी से उपगत सरकारी प्राप्य राशि के भुगतान अथवा सीमाशुल्क की गलत प्रक्रियाओं के कारण उठाई गई हानियों की गारंटी देता है।

(v) **कार्यनिष्पादन बांडः** यह आश्वासन उपलब्ध कराता है कि बाध्यताकारी को संरक्षण दिया जाएगा यदि प्रधान देनदार अथवा संविदाकार बांड संविदा का कार्यनिष्पादन नहीं करता। यदि बाध्यताकारी (आब्लिजी) घोषणा करता है कि प्रधान देनदार अथवा संविदाकार चूककर्ता है तथा संविदा को समाप्त करता है, तो वह बांड के अंतर्गत प्रतिभू के दायित्व पूरे करने के लिए प्रतिभू को कह सकता है।

(vi) **प्रतिधारण धनः** यह संविदाकार को देय राशि का भाग है, जिसका प्रतिधारण किया जाता है और संविदा की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद अंत में भुगतान किया जाता है।

(ख) इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 अथवा आईआरडीए अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किया गया है।

6. प्रतिभू बीमा व्यवसाय के जोखिम-अंकन की अपेक्षाएँ

(क) सामान्य उपबंध

6.1 साधारण बीमाकर्ता प्रतिभू बीमा व्यवसाय निम्नलिखित के अधीन प्रारंभ करेगाः

(क) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर से 1.25 गुना अन्यून शोधक्षमता मार्जिन बनाये रखने की आवश्यकता पूरी करना। बशर्ते कि जहाँ बीमाकर्ता का शोधक्षमता मार्जिन विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से किसी भी समय नीचे आ जाता है, तब बीमाकर्ता नया प्रतिभू बीमा व्यवसाय तब तक बंद रखेगा जब तक उसका शोधक्षमता मार्जिन प्रारंभिक सीमा से अधिक पुनःस्थापित नहीं किया जाता।

(ख) एक वित्तीय वर्ष में जोखिम-अंकित सभी प्रतिभू बीमा पालिसियों के लिए प्रभारित प्रीमियम, उन पालिसियों के लिए परवर्ती वर्ष/वर्षों में देय सभी किस्तों सहित, उस वर्ष के कुल सकल अंकित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होगा, जो अधिकतम रु. 500 करोड़ के अधीन होगा।

(ग) प्रतिभू बीमा व्यवसाय के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन दर्शन, पर्याप्त जोखिम-अंकन क्षमता और कौशल, जोखिम प्रबंध और प्रतिभू बीमा का जोखिम-अंकन करने के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना विद्यमान होनी चाहिए।

(घ) प्रतिभू बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने से पहले और बाद में प्रधान देनदार की तकनीकी/ वित्तीय शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम-मूल्यांकन व्यवस्था/ आंतरिक जोखिम प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश व्यवस्थित किये जाने चाहिए।

(ङ) इस व्यवसाय को संभालने के लिए बीमाकर्ता की क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रतिभू बीमा संविदाओं के निर्गम के लिए प्राधिकरण द्वारा लगाई गई विशिष्ट शर्तों का अनुपालन।

6.2 बीमाकर्ता निम्नलिखित के साथ मिलकर एकसाथ कार्य कर सकते हैं।

(क) बैंक अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) जैसी अन्य वित्तीय संस्थाएँ जोखिम संबंधी सूचना, परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, अन्य पहलुओं के बीच नकदी प्रवाह की साझेदारी करने के लिए।

(ख) अधिक सूचना और डेटा के साथ जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए संविदा प्रदान करनेवाले प्राधिकरण।

(ख) जोखिम-अंकन दर्शन

6.3 बीमाकर्ताओं के पास प्रतिभू बीमा व्यवसाय के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम-अंकन दर्शन होगा। प्रतिभू बीमा संविदाओं से संबंधित जोखिम-अंकन दर्शन में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) इस व्यवसाय का प्रबंध करने के लिए सभी पहलू शामिल किये जाएँगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिभू बीमा परिचालनों को विवेकसम्मत जोखिम-अंकन पद्धतियों, सुदृढ़ जोखिम प्रबंध और आंतरिक नियंत्रणों के द्वारा समर्थन दिया जाएगा जो इन परिचालनों के अनुरूप हों।

(ख) बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड प्रति संविदाकर्ता और उसकी समूह कंपनियों/फर्मों के लिए जोखिमों के संचयन की अधिकतम सीमा तथा जोखिम संचयन के लिए अधिकतम प्रतिधारण सीमा निर्धारित करने के लिए कार्यपद्धति और क्रियाविधियों का अनुमोदन करेगा एवं इन पहलुओं को बीमाकर्ता द्वारा उनकी जोखिम-अंकन नीति और दर्शन में अंतर्निहित किया जाना चाहिए।

(ग) बीमाकर्ता का निदेशक मंडल अथवा उसकी जोखिम प्रबंध समिति बीमाकर्ता की वित्तीय शक्ति के आधार पर उनके तुलन-पत्र पर प्रतिभू जोखिम को प्रतिधारित करने की बीमाकर्ता की क्षमता का निर्धारण करेगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमाकर्ता द्वारा अनुपातहीन प्रतिभू जोखिमों का अंकन न किया जाए, उपयुक्त पुनर्बीमा अपेक्षाओं को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनायेगी। उसके द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा संचालित की जाएगी।

(घ) संविदाकार/ प्रधान देनदार से संबंधित उचित सावधानी शामिल होगी, जैसे अच्छे संदर्भ और प्रतिष्ठा, वर्तमान और भावी दायित्वों को पूरा करने का सामर्थ्य, संविदा की आवश्यकताएँ पूरी करने योग्य अनुभव, कार्य करने के लिए आवश्यक उपस्कर, परियोजना कार्य के अपने अंश का संचालन करने और उसका समर्थन करने के लिए वित्तीय शक्ति। जोखिम-अंकन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे संविदाकार की वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह, कर विवरणियाँ, चलनिधि और कर्जों की समीक्षा।

(ङ) जोखिमों का प्रबंध करने के लिए विद्यमान प्रक्रियाओं और नियंत्रणों, तथा जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं की समग्र प्रभावकारिता सहित, प्रतिभू बीमा व्यवसाय के जोखिमों के संबंध में बोर्ड को समय पर, सही, स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग की व्यवस्था।

(ग) जोखिम-अंकन संबंधी दिशानिर्देश

6.4 प्रतिभू बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करनेवाला बीमाकर्ता निम्नलिखित का अनुपालन करेगाः

(क) प्रतिभू बीमा संविदाएँ सभी पद्धतियों में बुनियादी संरचना संबंधी सरकारी/निजी परियोजनाओं को दी जा सकती हैं।

(ख) संविदा बांडों में शामिल हो सकते हैं, बोली बांड, कार्यनिष्पादन बांड, अग्रिम भुगतान बांड और प्रतिधारण धन।

(ग) संविदा बांडों के अलावा, बीमाकर्ता सीमाशुल्क अथवा कर बांडों और न्यायालय बांडों का जोखिम-अंकन कर सकते हैं।

(घ) गारंटी की सीमा संविदागत मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ङ) प्रतिभू बीमा संविदाएँ केवल विशिष्ट परियोजनाओं को ही जारी की जाएँगी और बहुविध परियोजनाओं के साथ इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(च) बीमाकर्ता कोई भी प्रतिभू बीमा संविदाएँ अपने प्रवर्तकों/ उनकी सहायक संस्थाओं, समूहों, सहयोगी संस्थाओं और संबंधित पक्षकारों की ओर से जारी नहीं करेगा।

(छ) बीमाकर्ता "वैकल्पिक जोखिम अंतरण" व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा।

(ज) कोई भी प्रतिभू बीमा संविदा किसी भी रूप में वित्तीय गारंटी को कवर नहीं करेगा। वित्तीय गारंटी के अंतर्गत शामिल हैं कोई भी बांड, गारंटी, क्षतिपूर्ति अथवा बीमा, किसी बैंक/ ऋणदात्री संस्था, वित्तीय संस्था अथवा वित्तदाता द्वारा प्रदत्त अथवा उधार ली गई धनराशि का भुगतान अथवा चुकौती के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा विधिक संस्था के पक्ष में जारी की गई अथवा निष्पादित किये गये किसी भी प्रकार के ऋण, वैयक्तिक ऋण और पट्टादायी (लीजिंग) सुविधा अथवा किसी भी संविदा, लेनदेन अथवा व्यवस्था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उधार ली गई धनराशि के संबंध में देय राशियों का वित्त जुटाना अथवा धनराशियाँ सुरक्षित करना है, के संबंध में वित्तीय दायित्वों को कवर करना।

(झ) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एकल (सिंगल) जोखिम और समग्र जोखिम बीमाकर्ता की पूँजी की तुलना में अनुपातहीन नहीं हों।

(ञ) प्रतिभू बीमा संविदाएँ लागू विधियों का अनुपालन करते हुए जारी की जाएँगी।

(ट) प्रतिभू बीमा संविदाएँ वहाँ नहीं जारी की जाएँगी जहाँ अंतर्निहित आस्तियाँ / वचनबद्धता भारत के बाहर हो/ हों। इसके अलावा, प्रतिभू बीमा संविदाओं के अंतर्गत कवर किये गये जोखिम के लिए भुगतान भी भारतीय रुपयों में किया जाएगा।

6.5 ये दिशानिर्देश संविभाग का प्रबंध करने अथवा पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाएँ पूरी करने के लिए अपनी क्षमता को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिभू बीमा व्यवसाय के संबंध में व्यवसाय को स्वीकार करने में बीमाकर्ता से अपेक्षित न्यूनतम जोखिम-अंकन आवश्यकताएँ निर्धारित करते हैं। यह एकमात्र रूप से संबंधित बीमाकर्ताओं का दायित्व होगा कि वे यह निर्धारित करने में कि क्या जोखिम-अंकन के पूर्वोपायों का एक अतिरिक्त स्तर बनाये रखा जाना चाहिए, अपने व्यवसाय संविभाग और जोखिम एक्सपोज़र की गुणवत्ता सहित, सभी संबंधित कारकों का उचित ध्यान रखेंगे।

7 उत्पाद फाइलिंग

7.1 प्रतिभू बीमा उत्पाद, साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्धारित फाइल एण्ड यूज़ के सभी उपबंधों और संबंधित प्रक्रियाओं के अधीन होंगे। बीमाकर्ता प्रतिभू बीमा उत्पादों का विपणन उन्हें फाइल करने और प्राधिकरण द्वारा उन्हें ध्यान में लेने के बाद ही करेंगे।

7.2 इस बीमा व्यवसाय को व्यवसाय की विविध व्यवस्था के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

8. डेटा बेस का अनुरक्षण, सूचना और रिपोर्टें

8.1 सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रतिभू बीमा संविदाओं का डेटा निर्धारित रूप में भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई) को प्रस्तुत किया जाएगा।

8.2 बीमाकर्ता प्रतिभू बीमा व्यवसाय से संबंधित संगत अभिलेखों और डेटा का अनुरक्षण करेंगे तथा जब भी अपेक्षा की जाएगी तब प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

9. अर्थनिर्णय

इन दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता अथवा अर्थनिर्णय के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा इन दिशानिर्देशों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम), विषय-वस्तु से संबंधित डब्ल्यूटीएम की सिफारिशों पर समय-समय पर इन दिशानिर्देशों में सम्मिलित किये गये किसी भी विषय के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(यज्ञप्रिया भरत)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)